सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 14, शुक्रवार, शाके 1933-मई 4, 2012 Chaitra 14, Friday, Saka 1933-May 4, 2012	

भाग 4 (ग)

उप -खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 20, 2012

जी.एस.आर 5 :- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 39) की धारा 29-क के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विनियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन विनियमों का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2012 है।

(2) ये दिनांक 20.03.2012 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. विनियम 22 का संशोधन :- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विनियम 1999 के विनियम सं. 22 के उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात्-

''(2) प्रथम बार में प्रयास यह किया जावेगा कि विधि व्यवसायी की सेवाऐं मानदेय आधार पर प्राप्त करने की व्यवस्था की जाये। यदि ऐसी सेवाओं की व्यवस्था किसी दूसरे विधि व्यवसायी द्वारा सहायता प्रदान किये बिना नहीं हो सकती हो, तो सम्बन्धित समिति / जिला प्राधिकरण विधि व्यवसायी की नियुक्ति कर सकेगी और अग्रलिखित दर पर फीस का संदाय कर सकेगी :-

(क) तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखण्ड अधिकारी,

सहायक कलेक्टर के न्यायालय और अन्य समान न्यायालय इत्यादि 2000/– प्रति केस और इस विहित फीस के अतिरिक्त 500/– व्यय प्रति केस।

(ख) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजस्व अपील प्राधिकरण के न्यायालय और अन्य समान अधिकरण 3000/– प्रति केस और इस विहित फीस के अतिरिक्त 500/– व्यय प्रति केस।

(ग) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय 4500/– प्रति केस और इस विहित फीस के अतिरिक्त 500/– व्यय प्रति केस।

(घ) उच्च न्यायालय 5500/– प्रति केस और इस विहित फीस के अतिरिक्त 1000/– व्यय प्रति केस।

(ड़) किसी भी ऐसे केस में लेख बद्द किये जाने वाले कारणों से, अध्यक्ष द्वारा उसे ऐसे स्वरूप/ महत्व का माना जाये जिसके लिए विधि व्यवसायी को अधिक फीस का संदाय करने की अपेक्षा हो, तो वह ऐसी अधिक फीस का संदाय कर सकेगा जैसी वह ठीक समझे।

परन्तु विविध और लघु प्रकरणों यथा जमानत प्रार्थना पत्र, दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 107, 125, 145, 133 के अधीन (रिवीजन) पुनर्विचार याचिकाओं में यथास्थिति उपखण्ड (क) से (घ) में विहित फीस की 1/3 राशि और 500/– व्यय प्रति केस संदत्त किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि प्रकरणों के प्रत्याहरण में उपखण्ड (क) से (घ) में विहित फीस की 1/2 राशि संदत्त की जायेगी।

(3) विनियम 37 का संशोधन :– इन विनियमों के विनियम 37 में विद्यमान अभिव्यक्ति रुपये 150/– के स्थान पर रुपये 500/– प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या 20722]

आज्ञा से,

के.बी. कट्टा,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

जयपुर।

❖ ❖ ❖